संख्या- 1202 /59-2-2010-15(खा)/09

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 07/01/2011

विषय:- ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन ऐण्ड कनेक्टिविटी, योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्र संख्या 228/खा0ग्रा0बो/कम्प्यूटर/ई-गवर्नेन्स/2010-11, दिनांक 08.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन ऐण्ड कनेक्टिविटी हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 20.00 लाख में से द्वितीय 06 माह के लिए 50 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रुपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वतन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उक्त स्वीकृत किये जा रहे अनुदान के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 ए में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- स्वीकृत किये जा रहे अनुदान का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-209 एवं 209-ए में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कराते हुए कराया जायेगा।

3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वित्तीय वर्ष में/इस वित्तीय वर्ष में पूर्व में इस मद में संस्था/व्यक्ति आवर्तक अनुदान के रूप में स्वीकृत समस्त धनराशि व्यय कर ली गयी है। तथा जो धनराशि व्यय नहीं हो सकी थी, उसे राज्य कोष में समर्पित कर दिया गया है। यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही प्रश्नगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण अनुमन्य किया जायेगा।

4- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुदान के उपयोग की पूर्ण निगरानी एवम् सन्निरीक्षा की जायेगी।

5- स्वीकृत किया जा रहा अनुदान जिस कार्य हेतु स्वीकृत किया जा रहा है व्यय उसी कार्य के लिए किया जायेगा। तथा संस्था/व्यक्ति, जिसे अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है, को यह अधिकार नहीं होगा कि वह प्रश्नगत कार्य किसी अन्य संस्था अथवा व्यक्ति से करायें।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था/व्यक्ति को प्रश्नगत कार्य हेतु राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7- अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि यदि एक साथ व्यय नहीं की जानी हो तो आहरण आवश्यकतानुसार किये जाने हेतु ही अनुमन्य किया जायेगा।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-24-ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई0-6-640/दस-2010, दिनांक 29.12.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1202 (1)/59-2-2010-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- एन0आई0सी0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अशोक चन्द)
संयुक्त सचिव।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com